

बिहार सरकार
मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग
(निबंधन)

अधिसूचना

पटना, दिनांक- ०८.०८.१९

एस०ओ०सं०-IV/एम¹-1-20/2018- 2857 / रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (निबंधन एवं अन्य सम्बंधित विधि (संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा यथा संशोधित) की धारा-69 की उप धारा (1) खण्ड (क) एवं (क क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निबंधन महानिरीक्षक, बिहार सरकार के अनुमोदन से, निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं : -

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ: - (1) यह नियमावली बिहार रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियमावली, 2019 कहलाएगी।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह अधिसूचना निर्गत की तिथि के प्रभाव से प्रवृत्त होगा।

2. बिहार रजिस्ट्रीकरण नियमावली, 2008 के नियम-19 के उप नियम (xvi) के प्रथम परंतुक के बाद निम्नलिखित एक नया परंतुक जोड़ा जाएगा: -

“ परन्तु यह और कि दिनांक-30.08.2018 को अधिसूचित बिहार रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियमावली, 2018 के प्रभावी होने के पूर्व जिन बहुमंजिली इमारतों/अपार्टमेंटों के कम से कम एक इकाई/फ्लैट का निबंधन हो चुका हो, उनके अन्य इकाईयों/फ्लैटों के निबंधन पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। ”

बिहार राज्यपाल के आदेश से,



(आमिर सुबहानी)

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

एस.ओ.सं०-IV/एम¹-1-20/2018- 2857 /, पटना, दिनांक- ०८.०८.१९

प्रतिलिपि, उपर्युक्त अधिसूचना का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त राज्यादेश का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,



(आमिर सुबहानी)

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

८.८.१९

Government of Bihar
Department of Prohibition, Excise & Registration
(Registration)

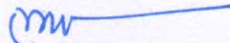
Notification

Patna, Dated: 08.08.19

S.O. NO.-IV/M¹-1-20/2018- 2857 / In exercise of the power conferred by clause (a) and (aa) of sub Section (1) of Section 69 of the Registration Act, 1908 (as amended by Registration and other related laws (amendment) Act, 2001 the Inspector General of Registration with the approval of the Government of Bihar makes following Rules: -

1. **Short title, extent and commencement:** - (1) These rules may be called the Bihar Registration (Amendment) Rules, 2019.
(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.
(3) It shall come into force with effect from the date of issue of notification.
2. The following new proviso shall be added after first proviso to sub-rule (xvi) of Rule-19 of the Bihar Registration Rules, 2008: -
"Provided further that it will not affect the registration of units/flats of those multi-storied buildings/apartments of which at least one unit/flat has been registered before the Bihar Registration (Amendment) Rules, 2018 notified on 30.08.2018 came into force."

By order of the Governor of Bihar,


(Amir Subhani)

Add. Chief Secretary to Government.

ज्ञापांक- IV/एम¹-1-20/2018- 2857 /, पटना, दिनांक- 08.08.19

प्रतिलिपि, वित्त विभाग, ई-गजट कोषांग, बिहार, पटना को सी.डी. सहित/अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-800007 को बिहार राजपत्र के अगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि एवं गजट की 500 (पाँच सौ) प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध करायी जाए।


(आमिर सुबहानी)
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक- IV/एम¹-1-20/2018- 2857 /, पटना, दिनांक- 08.08.19

प्रतिलिपि, महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(आमिर सुबहानी) 8.8.19
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक- IV/एम¹-1-20/2018- 2857 /, पटना, दिनांक- 08.08.19

प्रतिलिपि, मुख्य सचिव, बिहार, पटना/अध्यक्ष, भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, बिहार, पटना/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी समाहर्ता-सह-जिला निबंधक/माननीय मंत्री, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के आप्त सचिव/मुख्यालय स्थित सभी विभागीय पदाधिकारी/सहायक निबंधन महानिरीक्षक (सभी प्रमण्डल)/जिला अवर निबंधक (सभी)/कोषागार पदाधिकारी (सभी) एवं अवर निबंधक (सभी) को सूचनार्थ प्रेषित।

(आमिर सुबहानी) 8.8.19
सरकार के अपर मुख्य सचिव।